

span>

**Title : Papers Laid on the Table of the House by Ministers/Members**

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** सभापति जी, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2022 जो 4 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 255 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) कंपनी (लेखा) दूसरा संशोधन नियम, 2022 जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 235 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2022 जो 6 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 279 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2022 जो 8 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 291 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (पांच) कंपनी (प्रशुल्कों का पंजीकरण) संशोधन नियम, 2022 जो 27 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

- (छह) कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियम, 2022 जो 4 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 335 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (सात) कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका और आबंटन) संशोधन नियम, 2022 जो 5 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 338 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (आठ) कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2022 जो 20 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 363 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (नौ) कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और समामेलन) संशोधन नियम, 2022 जो 30 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 401 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दस) कंपनी (लेखा) तीसरा संशोधन नियम, 2022 जो 31 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 407 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (ग्यारह) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2022 जो 1 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 410 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (बारह) कंपनी (कंपनी पंजिका से कंपनियों का नाम हटाना) संशोधन नियम, 2022 जो 9 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 436 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तेरह) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) दूसरा संशोधन नियम, 2022 जो 10 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 439 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण संशोधन नियम, 2022 जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 456 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7285/17/22]

(3) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों से संबंधित कार्य-संचालन के बारे में प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2022, जो 1 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सीसीआई/सीडी/संशोधन/संयोजन विनियम/2022 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन विनियम, 2022, जो 8 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-3(2)/विनियम-सामान्य(संशोधन)/2022/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और पेशेवरों की नियुक्ति की प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2022, जो 12 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. ए-12015/01/2022एचआर/सीसी में प्रकाशित हुए थे।

Placed in Library, See No. LT 7286/17/22]

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री अश्विनी कुमार चौबे):** सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7287/17/22]

- (3) (एक) भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7288/17/22]

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइप और फिटिंग में लेड स्टेबलाइजर (संशोधन) नियम, 2022 जो 4 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.334(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7289/17/22]

(6) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत वन (संरक्षण) नियम, 2022 जो 28 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.480(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7290/17/22]

(7) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 और 25 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 345(अ) जो 10 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 'चूना-भट्टों में पेटकोक के विक्रय और उपयोग' के बारे में है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7291/17/22]

(8) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1947(अ) जो 26 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है ।

(दो) का.आ. 2090(अ) जो 5 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो द्वीप संरक्षण जोन में संशोधन के बारे में है ।

- (तीन) का.आ. 2095(अ) जो 5 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र में संशोधन के बारे में है ।
- (चार) का.आ. 2194(अ) जो 12 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है ।
- (पांच) का.आ. 1807(अ) जो 12 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पर्यावरण मंजूरी की वैधता के बारे में है ।
- (छह) का.आ. 1886(अ) जो 20 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य स्तर पर मंजूरी सुकर बनाने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण के बारे में है ।
- (सात) का.आ. 1953(अ) जो 27 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो रोपवे परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता के अपवर्जन के बारे में है ।
- (आठ) का.आ. 2163(अ) जो 9 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनावश्यक देरी को कम करके जनसुनवाई की प्रक्रिया सुप्रवाही बनाए जाने के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 7292/17/22]

... (व्यवधान)

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) मुंबई एशियाटिक सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी

तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) मुंबई एशियाटिक सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7293/17/22]

(2) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7294/17/22]

(4) (एक) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7295/17/22]

- (6) (एक) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7296/17/22]

- (8) (एक) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7297/17/22]

- (10) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एण्ड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक



प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एण्ड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7298/17/22]

(12) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7299/17/22]

... (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

(1) शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति, जुलाई, 2022 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गर्इ-कार्रवाई संबंधी

38वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7300/17/22]

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 22 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/87 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7301/17/22]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194द की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिनांक 16 जून, 2022 के परिपत्र सं. 2022 का 12, जो कठिनाइयां दूर करने संबंधी मार्गदर्शिकाएं जारी करने के बारे में है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7302/17/22]

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ध की उप-धारा (6) के अंतर्गत दिनांक 22 जून, 2022 के परिपत्र सं. 2022 का 13, जो मार्गदर्शिकाएं जारी करने के बारे में है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7303/17/22]

(5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (19वां संशोधन) नियम, 2022 जो 21 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 463(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) आयकर (20वां संशोधन) नियम, 2022 जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 482(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 1 जुलाई,

2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 505(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (तीन) आयकर (22वां संशोधन) नियम, 2022 जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 537(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 7304/17/22]

- (6) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 429 (अ) जो 7 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट कर अवधियों के लिए विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालकों के लिए ब्याज माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 541(अ) जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत विभिन्न सेवाओं की सीजीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 544(अ) जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 12/2017-केंद्रीय कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 547(अ) जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 13/2017-केंद्रीय कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 7305/17/22]

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग (संशोधन) विनियम, 2022 जो 24 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 471(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (पहला संशोधन) विनियम, 2022 जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 483(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 248(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अग्रिम प्राधिकरण एवं निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर 30.06.2022 तक समेकित कर एवं प्रतिपूर्ति उपकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 539(अ) जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक

30.06.2017 को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 7306/17/22]

(8) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 510(अ) जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई12 और ई15 ईंधन, जोकि मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल कहा जाता है) (88%/85%) जिस पर समुचित मात्रा में उत्पाद शुल्क (इसमें लागू उपकर भी सम्मिलित है) का भुगतान किया गया है, के विनिर्दिष्ट प्रतिशत और इथेनॉल (12%/15%) जिस पर लागू जीएसटी का भुगतान किया जा चुका है, के विनिर्दिष्ट प्रतिशत का मिश्रण है, जो मानक आईएस17586 के अनुरूप भी है, पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लागू अन्य उपकरणों में छूट दिया जाना है और बायोडीजल के विवरण में बदलाव किया जाना है ताकि सभी स्रोतों से प्राप्त बायोडीजल के साथ मिश्रित हाईस्पीट डीजल पर भी छूट को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 534(अ) से सा.का.नि. 536(अ), जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई12 और ई15 ईंधन, जोकि मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल कहा जाता है) (88%/85%) जिस पर समुचित मात्रा में उत्पाद शुल्क (इसमें लागू उपकर भी सम्मिलित है) का भुगतान

किया गया है, के विनिर्दिष्ट प्रतिशत और इथेनॉल (12%/15%) जिस पर लागू जीएसटी का भुगतान किया जा चुका है, के विनिर्दिष्ट प्रतिशत का मिश्रण है, जो मानक आईएस17586 के अनुरूप भी है, पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लागू अन्य उपकरणों में छूट दिया जाना है और बायोडीजल के विवरण में बदलाव किया जाना है ताकि सभी स्रोतों से प्राप्त बायोडीजल के साथ मिश्रित हाईस्पीट डीजल पर भी छूट को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 7307/17/22]

(9) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 533(अ) जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सऊदी अरब से होने वाले 'संतृप्त वसा अल्कोहल' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया था, में संशोधन करना है, जिससे कि उत्पादक 'पीटी इनर्जी सेजाहटेरा मास' और निर्यातक 'सिनरमस सीईएसपीए पीटीई' से संबंधित निर्यातक देश के नाम में 'सिंगापुर' के स्थान पर "इंडोनेशिया सहित कोई भी देश" लिखा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 7308/17/22]

(10) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 542 (अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 08/2017-एकीकृत कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा

यथासंस्तुत विभिन्न सेवाओं की आईजीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 545(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 09/2017-एकीकृत कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत विभिन्न सेवाओं की आईजीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 548(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 10/2017-एकीकृत कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत विभिन्न सेवाओं की आईजीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 7309/17/22]

(11) संघ-राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 543 (अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 11/2017- संघ-राज्यक्षेत्र कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा

यथासंस्तुत विभिन्न सेवाओं की यूटीजीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 546(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 12/2017- संघ-राज्यक्षेत्र कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 549(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 13/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । ... (व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 7310/17/22]

**\*m05 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR):** Hon. Chairperson, Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Skill Development Agency, New Delhi, for the year 2019-2020, along with Audited Accounts.



- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Skill Development Agency, New Delhi, for the year 2019-2020.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7311/17/22]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Vocational Education and Training, New Delhi, for the years 2019-2020 and 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for Vocational Education and Training, New Delhi, for the years 2019-2020 and 2020-2021.
- (4) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 7312/17/22]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Instructional Media Institute, Chennai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National

Instructional Media Institute, Chennai, for the year 2020-2021.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 7313/17/22]

**\*m06 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI):**

Hon. Chairperson, Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tibet House, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tibet House, New Delhi, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tibet House, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7314/17/22]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2019-2020.

- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2019-2020, together with Audit Report thereon.
  - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2019-2020.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 7315/17/22]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2020-2021.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 7316/17/22]

(7) A copy of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Rules, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.48(E) in Gazette of India dated 28<sup>th</sup> January, 2021 under sub-section (4) of Section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites Remains Act, 1958.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 7317/17/22]

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) दि दत्तोपन्त ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एण्ड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती- सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन), नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) दि दत्तोपन्त ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एण्ड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती- सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन), नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7318/17/22]

(3) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उप-धारा (4) के अंतर्गत ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना के संबंध में अधिसूचना सं.

एन-12/13/01/2019-पीएण्डडी, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7319/17/22]

... (व्यवधान)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्रीमती अन्नपूर्णा देवी**): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:

- (1) (एक) समग्र शिक्षा अभियान पंजाब, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) समग्र शिक्षा अभियान पंजाब, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7320/17/22]

- (3) (एक) लक्षद्वीप समग्र शिक्षा, कवरत्ती के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) लक्षद्वीप समग्र शिक्षा, कवरत्ती के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

- (तीन) लक्षद्वीप समग्र शिक्षा, कवरत्ती के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7321/17/22]

- (5) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसायटी (समग्र शिक्षा), शिमला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे
- (दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसायटी (समग्र शिक्षा), शिमला के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7322/17/22]

- (7) (एक) समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

|

[Placed in Library, See No. LT 7323/17/22]

(9) (एक) पश्चिम बंगा समग्र शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) पश्चिम बंगा समग्र शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

|

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

|

[Placed in Library, See No. LT 7324/17/22]

(11) (एक) समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7325/17/22]

... (व्यवधान)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा):  
सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7326/17/22]

... (व्यवधान)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री **(डॉ. सुभाष सरकार)**: सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ ।

- (1) (एक) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोना हिल्स के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोना हिल्स के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।



- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7327/17/22]

- (3) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैंड, दीमापुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैंड, दीमापुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7328/17/22]

- (5) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7329/17/22]

- (7) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7330/17/22]

- (9) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7331/17/22]

(11) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7332/17/22]

(13) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7333/17/22]

(15) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7334/17/22]

(17) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड, कोझिकोड के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड, कोझिकोड के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7335/17/22]

(19) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7336/17/22]

(21) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7337/17/22]

(23) (एक) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7338/17/22]

(25) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7339/17/22]

(27) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7340/17/22]

(29) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7341/17/22]

(31) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुदुचेरी, कराईकल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुदुचेरी, कराईकल के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7342/17/22]

(33) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7343/17/22]

(35) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7344/17/22]

(37) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आंध्र प्रदेश, तेईपल्लीगुडम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे  
।

- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आंध्र प्रदेश, तेईपल्लीगुडम के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7345/17/22]

- (39) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7346/17/22]

- (41) (एक) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।



[Placed in Library, See No. LT 7347/17/22]

- (43) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7348/17/22]

- (45) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, धारवाड़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, धारवाड़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, धारवाड़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7349/17/22]

- (47) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7350/17/22]

(49) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7351/17/22]

(51) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7352/17/22]

(53) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों की उपयुक्तता) (संशोधन) नियम, 2022, जो दिनांक 19 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 359(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7353/17/22]

(54) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2022, जो 30 जून 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सीए/431/2022/एमएसई(विनियम) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7354/17/22]

(55) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (समूह "क" "ख" और "ग" पद) भर्ती विनियम, 2022 जो 27 मई, 2022 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 3-24/प्रशासन/स्थापना/संशोधन/भर्ती विनियम/2011/खंड एक में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7355/17/22]

(56) भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर विनियम, 2022, जो 26 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं.8-9/2021-टीएस.वी. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7356/17/22]

... (व्यवधान)

**\*m11 THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD):** Hon. Chairperson, Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Bank for Financing Infrastructure and Development, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7357/17/22]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export-Import Bank of India,

Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export-Import Bank of India, Mumbai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7358/17/22]

- (3) A copy of the Report (Hindi and English versions) on the performance of Export-Import Bank of India, Mumbai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7359/17/22]

- (4) A copy of the Insurance Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances payable to and other terms and conditions of service of Chairperson and other members) Amendment Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.461(E) in Gazette of India dated 21<sup>st</sup> June, 2022 under sub-section (3) of Section 114A of the Insurance Act, 1938 and Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

[Placed in Library, See No. LT 7360/17/22]

- (5) A copy of the Life Insurance Corporation of India (Payment of Gratuity to the Chief Executive and Managing Directors) Amendment Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.437(E) in Gazette of India dated 9<sup>th</sup> June, 2022 under sub-section (3) of Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 7361/17/22]

(6) A copy of the National Bank for Financing Infrastructure and Development General (Amendment) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.580(E) in Gazette of India dated 15<sup>th</sup> July, 2022 under Section 33 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021.

[Placed in Library, See No. LT 7362/17/22]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 53 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013:-

(i) The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Amendment Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.521(E) in Gazette of India dated 6<sup>th</sup> July, 2022.

(ii) The Pension Fund Regulatory and Development Authority(Employees' Service)(Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11 in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> April, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 7363/17/22]

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980:-

(i) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2022 published in Notification No. S.O.3026(E) in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> July, 2022.

(ii) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2022 published in Notification No. S.O.3027(E) in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> July, 2022.

(iii) The UCO Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2020 published in Notification No. F. No. HO/EST/2021-22/297 in Gazette of India dated 31<sup>st</sup> March, 2022

[Placed in Library, See No. LT 7364/17/22]

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (11) of Section 45 of the Banking Regulations Act, 1949:-

(i) The Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited (Amalgamation with Unity Small Finance Bank Limited) Scheme, 2022 published in Notification No. G.S.R.45(E) in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> January, 2022.

(ii) The Lakshmi Vilas Bank Limited (Amalgamation) with DBS Bank India Limited) Scheme, 2020 published in Notification No. G.S.R.731(E) in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> November, 2020.

10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (ii) of (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 7365/17/22]

(11) A copy of the RBI Employees' Gratuity and Superannuation Fund (Amendment) Regulations, 2021(Hindi and English versions) published

in Notification No. F. No. CSBD/Funds/S57/05.12.003/2022-23 in Gazette of India dated 6<sup>th</sup> May, 2022 under sub-section (4) of Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

[Placed in Library, See No. LT 7366/17/22]

(12) A copy of the Notification No. S.O.3035(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 4<sup>th</sup> July, 2022 applying certain provisions of the Act in International Financial services Centre with exceptions, modifications and adaptations under sub-section (3) of Section 114 of the Insurance Act, 1938.

[Placed in Library, See No. LT 7367/17/22]

(13) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 17 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972:-

- (i) The United India Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Amendment Scheme, 2022 published in Notification No. S.O.1821(E) in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> April, 2022.
- (ii) The National Insurance Company Limited (Merger) Amendment Scheme, 2022 published in Notification No. S.O.1822(E) in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> April, 2022.
- (iii) The Oriental Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Amendment Scheme, 2022 published in Notification No. S.O.1823(E) in Gazette of India dated 13<sup>th</sup> April, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 7367A/17/22]



